5. बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का पुनर्निर्माण

5.1 संबंधित विभाग बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त आधारभूत संरचनाओं, आदि, के ''Built Back Better Than Before'' सिद्धांत के अनुसार पुनर्निर्माण हेतु परियोजना तैयार करेंगे तथा सरकार के निर्धारित दिषा निर्देषों के आलोक में उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे।

5.2 **कटाव पीड़ितों का पुनर्वास–**

बाढ के दौरान कटाव के कारण विस्थापित हुए व्यक्तियों के पुनर्वास की त्वरित कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी एवं उन्हें राज्य सरकार के द्वारा निर्गत निदेषों के आलोक में पुनर्वासित किया जाएगा। इस संबंध में जिला पदाधिकारी त्वरित कार्रवाई करेंगे।

****